फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला—उदयपुर

प्रार्थी : नवलराम डांगी वगैरह | **विपक्षी : डाऊ डांगी वगैरह**

किस्म मुकदमा — 251 ए | **पत्रावली संख्या : 25/21**

जीसीएमएस : 2021/179

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 30.04.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा दस्तावेजात प्रस्तुत किए गए। शा.फा. रहे। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा बहस का निवेदन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस निवेदन किया की प्रार्थीगण की भूमि पर जाने हेतु एकमात्र रास्ता विपक्षीगण की भूमि से है। विपक्षीगण उक्त रास्ते को अपनी भूमि में मिलाकर प्रार्थीगण के रास्ते को बंद करना चाह रहे है। इसलिए उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा निवेदन किया कि उक्त रास्ते को तहसीलदार मावली द्वारा अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रकरण संख्या 01/13 निर्णय दिनांक 19.03.2014 से खोलने के आदेश दिए जा चुके है। परन्तु फिर भी प्रार्थीगण का द्वारा पुनः प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रस्तुत किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत रास्ता प्रार्थीगण की सुविधा हेतु नही दिया जा सकता है। मौके पर रास्ता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्राम गन्दोली पटवार हल्का सांगवा तहसील मावली हाल घासा की आराजी नम्बर 1458 रकबा 0.0081 हैक्टेयर भूमि पर आने जाने हेतु विपक्षीगण के नाम दर्ज आराजी नम्बर 1434 रकबा 0.8660 हैक्टेयर भूमि में रास्ता चाहा गया है। प्रार्थीगण द्वारा स्वयं अपने प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है कि आराजी नम्बर 1434 में बने रास्ते से आवागमन सदीप से करते आ रहे है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार न्यायालय तहसीलदार मावली के प्रकरण संख्या 01/2013 निर्णय दिनांक 19.03.2014 अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते को खुलवाने के आदेश दिए जा चुके है। तहसीलदार मावली द्वारा अपने निर्णय में भू—अभिलेख निरीक्षक खेमली एवं पटवार हल्का सांगवा को लिखा जाने के आदेश देते हुए विपक्षीगण द्वारा आराजी संख्या 1434 में बने रास्ते में जो अवरोध है उसके हटाकर रास्ता पूर्ववत चालू कराने के आदेश दिए जा चुके है। न्यायलाय का विनम्र अभिमत है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए अनुसार नवीन रास्ता स्वीकृत करने से पहले यह समाधान होना आवश्यक है कि प्रार्थी की भूमि पर पहुंचने के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है साथ ही नवीन रास्ता निकालने/चौड़ा करने की आत्यन्तिक आवश्यकता (Absolute Necessity) होनी चाहिये, न कि केवल सुविधाजनक स्थिति के लिये और द्वितीय यह कि विशेषकर नवीन रास्ते के प्रकरण में वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होना चाहिए। इस प्रकरण में पूर्व से मौके पर बने हुए रास्ते को तहसीलदार मावली द्वारा खुलवाया गया है तथा उसी रास्ते को प्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहते है। जब मौके पर पहले से ही रास्ता उपलब्ध है तो प्रार्थीगण की सुविधाजनक स्थिति के लिये रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नही किया जा सकता है। प्रकरण में विकल्प साधन का अभाव नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 16:40:29 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार द्वारा खुलवाए गए रास्ते को यदि विपक्षीगण द्वारा पुनः बंद कर दिया गया है तो इसके लिए प्रार्थीगण को पुनः तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था तथा विपक्षीगण के विरूद्ध न्यायालय आदेश की अवहेलना की कार्यवाही करनी चाहिए थी। प्रार्थीगण तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना प्रस्तुत कर पूर्व में जारी निर्णय की पालना करवाना सुनिश्चित करें। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना खारिज योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायायलय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:40:29 IST
Reason: SelfAttested